न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर०ए०एस
मुकदमा नं० 53/2025

1. विनोद कुमार नागा पुत्र गोपालाल नागा निवासी ढाणी नागान, तह० जोबनेर जिला जयपुर राज०

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये:—तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर
2. इन्द्रा देवी पुत्री गोपाल लाल
3. तेजप्रकाश नागा पुत्र हनुमान प्रसाद
4. द्रोपती देवी पुत्री गोपाल लाल
5. बिहारी लाल नागा पुत्र गोपाल लाल
6. मेनका नागा पुत्री सीताराम नागा
7. ललिता देवी पुत्री गोपाल लाल
8. विजय लक्ष्मी पुत्री गोपाल लाल
9. शांति नागा पत्नि गोपालाल
10. हनुमान प्रसाद पुत्र देवीलाल
11. हीरालाल पुत्र तेजाराम

समस्त जाति कुमावत नि० ढाणी नागान तह० जोबनेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री आशीष कुमावत वकील अप्रार्थी सं० 2 लगा० 11
3. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांक :— 04/07/2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढाणी नागान तह० जोबनेर में स्थित आराजी खसरा नं. 588/9 रकबा 0.5817 है० के प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 लगा० 11 खातेदार काश्तकार है और प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी उक्त खसरा नंबर 588/9 पर वर्षो से सैटलमेन्ट नक्शे के अनुरूप काबिज काश्त है परन्तु वर्तमान में नये ऑनलाईन नक्शे बनाते समय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नं० 588/9 के पूर्व दिशा में खसरा नंबर 659/585 के लगवा थी परन्तु प्रार्थी की आराजी को हटाते हुये खसरा नंबर 588/1 की आराजी को बीच मे दे दिया गया जबकि प्रार्थी आराजी पूर्व दिशा में खसरा नंबर 659/585 के लगवा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

है। जबकि प्रार्थी की आराजी को खसरा नंबर 588/1 के पश्चिमी दिशा में कर दिया जबकि प्रारम्भ से ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 11 का कब्जा काबिज रहा है जबकि नक्शे में खसरा नंबर 588/1 की भूमि डाल दी गई है जो खसरा नंबर 588/5 के पूर्वी दिशा की तरफ स्थित है व खसरा नंबर 588/1 के खातेदार व खसरा नंबर 588/9 के खातेदार उसी अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है जिसके अनुरूप दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार महोदय जोबनेर को तरमीम दुरूस्त करने हेतु कहा तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी, जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 588/9 के मौके व कब्जे के अनुसार तरमीम दरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 11 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 लगा0 11 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दरूस्त करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि ग्राम ढाणी नागान के खसरा नंबर 588/9 रकबा 0.5817 हे0 की खातेदारी विनोदकुमार, बिहारीलाल पी0 गोपाल, इंदिरा देवी, द्रोपती देवी, ललिता देवी, विजय लक्ष्मी देवी पुत्रीया गोपाल, शांति देवी पत्नि गोपाल हि0 13/42, तेजप्रकाश पी0 हनुमान हि0 1/21, मेनका पुत्री सीताराम हि0 2/7, हनुमान प्रसाद पी0 देवीलाल हि0 13/42, हीरालाल पुत्र तेजाराम हि0 1/21 कौम कुमावत सा.देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नंबर 588/9 के खातेदारो का कब्जा काश्त मौके पर एक जगह न होकर दो जगह कब्जा काश्त कर रहे है। नक्शे सीट के अनुसार ख0नं0 659/585 की पश्चिमी दिशा की तरफ 588/1 की सीमा लगती है। परन्तु मौके पर 588/9 के खातेदारो का कब्जा काश्त है। नक्शे सीट के अनुसार ख0नं0 787/588 के पूर्व दिशा की तरफ 588/9 की सीमा लगती है। परन्तु मौके पर ख0नं0 588/1 के खातेदारो का कब्जा काश्त (रास्तनुमा आकृति) है। मौका निरीक्षण व कब्जा काश्त के अनुसार ख0नं0 588/9 जो नक्शा सीट में एक जगह है परन्तु मौके पर दो जगह कब्जा काश्त है। इस प्रकार ख0नं0 588/9 की तरमीम गलत दर्ज हो गई उक्त तरमीम सहवन से सेग्रीगेशन (DILRMP योजना) के दौरान की गई जो गलत है। खसरा नंबर 588/9 रकबा 0.5817 हे0 जो मौके कब्जा काश्त के अनुसार दो जगह है। जिसकी तरमीम मौके व कब्जे के अनुसार ख0नं0 659/585 की पश्चिमी दिशा की तरफ 588/9 मीन/ए रकबा 0.0780 व ख0नं0 588/6 की दक्षिणी दिशा की तरफ 588/9 मीन/बी रकबा 0.5037 कुल रकबा 0.5817 की तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरूस्ती के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की। हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि खसरा नंबर 588/9 के खातेदारो का कब्जा काश्त मौके पर एक जगह न होकर दो जगह कब्जा काश्त कर रहे है। नक्शे सीट के अनुसार ख0नं0 659/585 की पश्चिमी दिशा की तरफ 588/1 की सीमा लगती है। परन्तु मौके पर 588/9 के खातेदारो का कब्जा काश्त है। नक्शे सीट के अनुसार ख0नं0 787/588 के पूर्व दिशा की तरफ 588/9 की सीमा लगती है। परन्तु मौके पर ख0नं0 588/1 के खातेदारो का कब्जा काश्त (रास्तनुमा आकृति) है। मौका निरीक्षण व कब्जा काश्त के अनुसार ख0नं0 588/9 जो नक्शा सीट में एक जगह है परन्तु मौके पर दो जगह कब्जा काश्त है। इस प्रकार ख0नं0 588/9 की तरमीम गलत दर्ज हो गई उक्त तरमीम सहवन से सेग्रीगेशन (DILRMP योजना) के दौरान की गई जो गलत है। खसरा नंबर 588/9 रकबा 0.5817 हे0 जो मौके कब्जा काश्त के अनुसार दो जगह है। जिसकी तरमीम मौके व कब्जे के अनुसार ख0नं0 659/585 की पश्चिमी दिशा की तरफ 588/9 मीन/ए रकबा 0.0780 व ख0नं0 588/6 की दक्षिणी दिशा की तरफ 588/9 मीन/बी रकबा 0.5037 कुल रकबा 0.5817 की तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं0 खसरा नंबर 588/9 की तरमीम मौके के कब्जे काश्त अनुसार नही है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। खसरा नंबर 588/9 रकबा 0.5817 हे0 की तरमीम तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.07.2025 के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय के साथ जुज रहेगी। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

dSG

देवेन्द्र सिंह गोस्वामी
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जोबनेर, जिला-जयपुर